

**मारपीट के मामले मे वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 07 / 2021 धारा 147 / 149 / 308 / 452 / 352 / 323 / 504 / 506 भादवि में वांछित 03 अभियुक्त नाम पता 1- मायाराम पुत्र वीरे 2- अरुण पुत्र अयोध्या 3- विशाल पुत्र सुखदेव निवासीगण करहना थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-** प्रभारी पुलिस चौकी बौरव्यास श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 का0 मनोज कुमार द्विवेदी, का0 रामविलास यादव।

**1 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान काली मंदिर बालू शासन के पास से सद्दाम पुत्र मुमताज निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 1 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 43 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** प्रभारी पुलिस चौकी बघौली उ0नि0 श्री शशिकांत तिवारी, हे0का0 राणा प्रताप यादव, का0 मनीष कुमार यादव।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

### पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल –

पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 01602 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया तथा तथा दुर्घटना के संबन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** – आ0 विश्वजीत यादव, आ0चा0 राजन प्रसाद।

### **मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनो से 40000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 19.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनो से 40000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।